सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय

पत्रकार कोलोनी लिंक रोड-462016
ई-मेल dir.socialjustice@mp.gov.in

क्र./VC /2025/I/617981/2025 दिनांक 19-11-2025

प्रति,

समस्त संयुक्त /उप संचालक
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
जिला - समस्त (म.प्र.)

विषयः- दिनांक **12/11/2025** को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस के कार्यवाही विवरण के संबंध में।

---0---

दिनांक **12/11/2025** को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभागीय योजनाओं /विभागीय कार्यों की समीक्षा की गई**,** जिसमें सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, संचालनालय एवं जिलें के अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निम्नलिखित निर्देश दिये गये :-

1. दिनांक 09/09/205 को संचालनालय से जारी पत्र में जिन पेंशन हितग्राहियों की पेंशन को होल्ड किया गया है, उनका सत्यापन 30/11/2025 तक करने हेतु निर्देशित किया गया था। किंतु 2 माह से अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत भी 2,93,730 होल्ड पेंशन प्रकरणों में से केवल 72863 प्रकरणों के भौतिक सत्यापन की स्थिति को पेंशन पोर्टल पर अपडेट किया गया है, जो कि केवल 24.81% है। दिनांक 30/10/2025 को आयोजित गूगलमीट में प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित कर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था किंतु अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है, इससे यह प्रतीत हो रहा है कि जिला एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी विभागीय दायित्वों के प्रति गंभीर नहीं है । जिला यथा SIDHI, TIKAMGARH, SINGROULI, BHOPAL, MAIHAR, UMARIA एवं DINDORI में 10 प्रतिशत से भी कम भौतिक सत्यापन किया गया है। जबकि उक्त जिलों में स्थानीय निकाय स्तर पर सामाजिक सुरक्षा अधिकारी पदस्थ है। निम्न 16 निकायों के सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन का कार्य नगण्य किया गया है :-

S. N.	District Name	LB Name	SSO Name	No. of Hold Cases	Total Verified	% of Verification
{1}	{2}	{3}	{4}	{6}	{8}	{9}
1	SIDHI	Janpad Panchayat, RAMPUR NAIKIN	PRITI VERMA	3441	21	0.61
2	UMARIA	Janpad Panchayat, MANPUR	AMIT KUMAR BAIGA	2653	2	0.08
3	REWA	Janpad Panchayat, REWA	AMRITA KAMAL	1337	2	0.15
4	DINDORI	Janpad Panchayat, KARANJIA	KAMLESHWAR SINGH DHURWEY	816	5	0.61
5	DINDORI	Janpad Panchayat, BAJAG	BRIJMOHAN BHARTIYA	797	7	0.88
6	SINGROULI	Nagar Nigam, SINGROULI	ILA SAHU	651	0	0.00
7	ASHOKNAGAR	Janpad Panchayat, MUGAWALI	PRAKASH SAHRIYA	578	4	0.69
8	BETUL	Janpad Panchayat, BETUL	HARSH KUMAR NAGLE	536	0	0.00

9	BALAGHAT	Janpad Panchayat, KATANGI	HITESH PIPLEWAR	366	3	0.82
10	DINDORI	Janpad Panchayat, MEHANDWANI	RAJESH KUMAR BAIGA	325	0	0.00
11	VIDISHA	Janpad Panchayat, LATERI	SHUBHAM NAMDEO	219	2	0.91
12	RAISEN	Nagar Palika, MANDIDEEP	ASHISH TIGGA	123	0	0.00
13	NARMADAPURAM	Janpad Panchayat, PIPARIYA	VIJAY KUMAR ADIWASI	76	0	0.00
14	RAJGARH	NAGAR PALIKA, RAJGARH	PAPPU SHARIYA	15	0	0.00
15	BETUL	Nagar Palika, SARNI	SONAM BAIS	11	0	0.00
16	NARMADAPURAM	Nagar Palika, ITARSI	SAFDAR KHAN	3	0	0.00

उक्त सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों को **SCN** जारी करने हेतु निर्देशित किया गया।

कुछ जिलों एवं निकायों के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया है कि ऐसे पेंशन हितग्राही जो पात्र है एवं निवासरत है किंतु उनका आधार ई-केवायसी समग्र पोर्टल पर नहीं हो पा रहा है, ऐसे हितग्राहियों के पंचनामा पर AeGM द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये जा रहे है, उक्त संबंध में जिलों को सुझाव दिय गया कि वे संचालनालय पत्र के माध्यम से अवगत कराये व AeGM के स्थान पर सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर मान्य किये जाने का लेख करें। संचालनालय स्तर पर आयुक्त महोदया की अनुमति प्राप्त कर जिलों को पत्र प्रेषित किया जायेगा। समस्त सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों की मैपिंग जनपद पंचायत/ नगरीय निकायों से सुनिश्चित की जाये। यदि कोई अधिकारी अधिक सयम के लिये अवकाश पर है तो उनके स्थान पर किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा अधिकारी पास के निकाय की मैपिंग की जाये। उक्त सामाजिक सुरक्षा अधिकारी संबंधित निकाय में समन्वय कर विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

2. विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं का ऑनलाईन क्रियान्वयन पेंशन, स्पर्श एवं विवाह पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। जिला एवं स्थानीय निकायों को प्रतिदिन पोर्टल पर लॉगईन कर लंबित प्रकरणों की समीक्षा एवं निराकरण करने हेतु सतत् निर्देशित किया जा रहा है । विभागीय योजनाएं अत्यंत संवेदनशील है एवं वरिष्ठजनों, दिव्यांगजनों व कल्याणी इत्यादि के लिये संचालित की जाती है, जिससे पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ प्राप्त हो सके। किंतु शासन एवं संचालनालय से सतत् पत्र प्रेषित करने के उपरांत भी पात्र हितग्राहियों के आवेदनों का निराकरण समय-सीमा में नहीं करना अधिकारियों/कर्मचारियों की अत्यंत खेदजनक है। प्राय: विभागीय योजनाओं के प्रकरण समाधान ऑनलाईन इत्यादि में आते है व समय पर निराकरण नहीं होने से विभाग की छवि धूमिल होती है। समस्त योजनाओं के ऑनलाईन आवेदनों का निराकरण समय-सीमा में करने हेतु शासन की ओर से दिनांक 28/03/2025 एवं 07/05/2025 को पत्र जारी किये गये है, किंतु शासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार जिला एवं निकायों के सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों द्वारा कार्यवाही नहीं की जा रही है। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत वित्तीयवर्ष 2024-25 में सर्वाधिक आवेदन जिला यथा JABALPUR, NARSINGHPUR, KHANDWA, VIDISHA, CHHATARPUR, GWALIOR, RAISEN, CHHINDWARA, UJJAIN & SEHORE में लंबित है। किसी पात्र हितग्राही के आवेदन को समय-सीमा में निराकरण नहीं किया जाना खेदजनक है। अत: समस्त जिलें समय -सीमा में लंबित आवेदनों का निराकरण करना सुनिश्चित करें। योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु आवेदन करने की समय-सीमा 30 नवम्बर 2025 कर दी गई है, अत: दिव्यांग छात्र/छात्राओं के आवेदन

प्राप्त किये जाये एवं प्राप्त आवेदनों का निराकरण भी 15 दिसम्बर 2025 तक करना सुनिश्चित किया जाये। मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना अंतर्गत सर्वाधिक आवेदन जिला यथा SAGAR, CHHATARPUR, MORENA, KATNI, BHOPAL, CHHINDWARA, DAMOH & BALAGHAT में लंबित है। समस्त जिलें समय -सीमा में लंबित आवेदनों का निराकरण करना सुनिश्चित करें। जिला छतरपुर द्वारा बिना पोर्टल पर स्वीकृत करें ही आवेदनों का भुगतान कर दिया गया है, जो कि उचित नहीं है। पोर्टल पर स्वीकृत (eSign) करने के उपरांत ही भुगतान की कार्यवाही किया जाना चाहियें एवं भुगतान की जानकारी को विवाह पोर्टल पर दर्ज किया जाना चाहिये।

मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत सर्वाधिक आवेदन जिला यथा SAGAR, VIDISHA, CHHATARPUR, DHAR, BETUL, MORENA, RAISEN & MANDSAURमें लंबित है। समस्त जिलें समय -सीमा में लंबित आवेदनों का निराकरण करना सुनिश्चित करें।

विभाग की किसी भी योजना में अप्रिय स्थिति निर्मित होने पर जिला अधिकारी एवं संबंधित स्थानीय निकाय के सामाजिक सुरक्षा अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

3. विभाग में कार्यरत समस्त अधिकारियों/ कर्मचारियों की जानकारी, Service Book, गोपनीय प्रतिवेदन एवं ई-लीव इत्यादि को hrms portal पर online किया जाना है। संचालनालय से सतत् विभिन्न पत्रों के माध्यम से समस्त अधिकारियों/ कर्मचारियों की जानकारी को e-HRMS पोर्टल पर ऑनलाईन करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है किंतु आज दिनांक तक 52 जिलों द्वारा कुल 575 अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी को पोर्टल पर रजिस्टर किया गया है। MPSEDC एवं संचालनालय द्वारा समय-समय पर समस्तो जिलों को Online Training भी प्रदान की जा चुकी है, अंत: 15 दिसम्बयर 2025 तक विभाग में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी व सर्विस बुक इत्यादि जानकारी को HRMS पोर्टल पर ऑनलाईन दर्ज/अपलोड करना सुनिश्चित करें।
4. मुख्यमंत्री हेल्पलाईन में लंबित शिकायतों की समीक्षा में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत लैपटॉप वितरण की शिकायतों पर शिकायतवार समीक्षा की गई। उज्जैन, ग्वालियर, छतरपुर, भोपाल एवं रीवा जिले में निम्नानुसार शिकायतें लंबित पाई गई दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना से संबंधित प्रकरण पर मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा चर्चा की गई थी। अत: तत्काल उक्त शिकायतों का निराकरण कराने के निर्देश दिये गये।

क्र.	शि.क्र.	नाम	जिला	लंबित दिन
1	35091737	रोहित	उज्जैन	15
2	35090209	अंकित परमार	उज्जैन	15
3	35268164	पवन	ग्वालियर	4
4	34589560	देवेन्द्र	ग्वालियर	49
5	33294474	नरेश कुमार	ग्वालियर	125
6	32915748	सम्भव शर्मा	ग्वालियर	146
7	33299878	आरती रावत जी	छतरपुर	125
8	34186655	सत्यम	भोपाल	73
9	34744997	घनश्याम	भोपाल	39
10	35299084	भूपेन्द्र मिश्रा जी	रीवा	1

तद उपरांत विभाग अंतर्गत विभिन्न जिलों में 100 दिवस से लंबित शिकायतों की जिलेवार समीक्षा की जाकर निराकरण के निर्देश दिये गये। जिला भोपाल में सर्वाधिक शिकायतें लंबित हैं। जिला भोपाल शिकायतों के निराकरणों में विशेष ध्यान दे ।

5. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर दिव्यांग विद्यार्थियों के लिये संचालित प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं टॉप क्लास छात्रवृत्ति के आवेदनों के संस्था स्तर पर सत्यापन हेतु लंबित आवेदनों का ऑनलाईन सत्यापन कराने हेतु समस्त जिला अधिकारियों को संबंधित शैक्षणिक संस्था से संपर्क कर, लंबित आवेदनों का सत्यापन अंतिम दिनांक के पूर्व पोर्टल पर कराने के निर्देश दिये गये।
6. योजना क्रमांक 0073- अंधमूक बधिर शालाओं को अनुदान अंतर्गत राज्य अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2025-26 तक हुए व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजने हेतु जिला ग्वालियर, शिवपुरी, देवास, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, अलीराजपुर, खण्डवा, बड़वानी, भोपाल, विदिशा, बैतूल, छतरपुर, दमोह, जबलपुर, रीवा एवं सीधी को निर्देशित किया गया ।
7. योजना क्रमांक 5258 - कुष्ठ सेवी संस्थाओं को वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2025-26 तक हुए व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजने हेतु जिला भोपाल, इंदौर, झाबुआ एवं बड़वानी को निर्देशित किया गया है ।
8. जे.जे.सी. द्वारा आयोजित दिव्यांगजनो की पहचान हेतु विभिन्न जिलों मे आयोजित किये जा रहे कैम्प का रोस्टर (आयोजन केलेण्डर) भेजने हेतु निर्देशित किया गया है ।
9. समस्त संयुक्त संचालक/ उप संचालको द्वारा डीडीआरसी के निरिक्षण प्रतिवेदन तथा डीडीआरसी एवं डीडीआरएस के केन्द्रीय अनुदान के प्रस्ताव हेतु निर्देशित किया गया है ।।दिनांक 18.11.2025 तक सभी जिलों को नशामुक्त भारत अभियान के तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा अमृतसर में गुरूतेक बहादुर विश्वविधालय में आयोजित राष्ट स्तरीय कार्यक्रम हेतु जिलों को सोपें गये बजट के अनुसार जिले एवं निकाय स्तर पर ई-प्लेज वृहत स्तर पर कराया जाना सुनिश्चत करे। नशामुक्त भारत अभियान के पांच साल पूरे होने पर माननीय प्रधान मंत्री जी के द्वारा पूरे देश मे एक साथ ई प्लेज कराया जाना है अत: ई प्लेज पर विशेष ध्यान दिया जाये ।

Digitally signed by
Dr Shravan Kumar Pachauri
Date: 19-11-2025 17:35:31
(डॉ श्रवण कुमार पचौरी)
उप संचालक
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन
सशक्तिकरण संचालनालय भोपाल म.प्र.

क्र./VC /2025/I/617981/2025 दिनांक19-11-2025

प्रतिलिपि:

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग।
2. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
3. समस्त मुख्य कार्यपालन ।
4. समस्त अनुभाग प्रभारी, संचालनालय आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. समस्त जिला समन्वयक, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी – सूचनार्थ ।
6. समस्त सामाजिक सुरक्षा अधिकारी/समन्वयक – सूचनार्थ ।

उप संचालक
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन
सशक्तिकरण संचालनालय भोपाल म.प्र.